राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.3/ ।।।–ए/निर्वा./ईपिक–VII/जन./2011/ 11593 जयपुर,दिनांकः 11-11-2014

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, ज़यपुर ।

प्रेषितः– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर)– राजस्थान।

विषय :– मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम–सप्तम चरण (Phase-VII) के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम–सप्तम चरण (Phase-VII) का प्रारम्भ माह जून, 2011 में हुआ था। इस चरण हेतु संपादित अनुबन्ध 31 अक्टूबर, 2014 को समाप्त हो गया है। वर्तमान अनुबंध समाप्त होने के साथ ही फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम का सप्तम चरण (Phase-VII) भी समाप्त हो गया है। कार्यक्रम के सप्तम चरण की समाप्ति के पश्चात इस चरण के लेखों का समापन किया जाना है। लेखों के समापन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. **बकाया प्रमाण पत्रों का प्रेषण–**

कार्यक्रम के सप्तम चरण (Phase-VII) के माह जून, 2014 से माह अक्टूबर, 2014 में तैयार कर आपूर्ति किये गये पहचान पत्रों के प्रमाण पत्र एवं फेज के प्रारम्भ माह जून, 2011 से 31 मई, 2014 की अवधि में से जिस अवधि के प्रमाण पत्र अभी तक विभाग को प्रेषित नहीं किये गये हैं, उसके प्रमाण पत्र 20 नवम्बर, 2014 तक आवश्यक रुप से इस विभाग को प्रेषित करावें।

2. **शेष होलोग्राम की वापसी एवं उपयोग की सूचना–**

कार्यक्रम के सप्तम चरण (Phase-VII) के दौरान आपके कार्यालय द्वारा समय–समय पर अनुबंधित फर्म को पहचान पत्र बनाने हेतु होलोग्राम जारी किये गये हैं। चूँकि सप्तम चरण (Phase-VII) समाप्त हो चुका है। अतः अनुबंधित फर्म से अवशेष होलोग्राम अनिवार्य रुप से वापस प्राप्त करावें। तथा सप्तम चरण **(जून, 2011 से अक्टूबर, 2014)** के दौरान फर्म द्वारा उपयोग में लिये गये होलोग्राम की सूचना निम्नलिखित प्रारुप में 30 नवम्बर, 2014 तक आवश्यक रुप से इस विभाग को प्रेषित करावें:–

(i) फर्म को उपलब्ध कराए गए कुल होलोग्राम– ....
(ii) फर्म से वापस प्राप्त होलोग्राम– ....
(iii) फर्म द्वारा उपयोग लिए गए होलोग्राम– (i-ii) ....
(iv) फेज के दौरान फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये गये कुल पहचान पत्र ....

यदि फर्म द्वारा फेज के दौरान आपूर्ति किये गये कुल पहचान पत्र फर्म को उपलब्ध कराए गए कुल होलोग्राम से कम या अधिक है, तो उसके कारण भी अभिलिखित करावे।

3 **अन्तिम प्रमाण पत्रों का प्रेषण–**

आपके कार्यालय द्वारा समय–समय पर पहचान पत्रों के अन्तरिम प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रेषित किये गये हैं, जिनके आधार पर अनुबंधित फर्म को अन्तरिम भुगतान किये गये हैं। फेज के समाप्त हो जाने के उपरान्त फेज के लेखों को अन्तिम रुप दिया जाकर शास्तियों /वसूलियों का समायोजन करते हुए फेज–सप्तम के लेखों का समापन किया जाना है। फेज के लेखों को अन्तिम रुप देने हेतु सम्पूर्ण फेज के अन्तर्गत तैयार पहचान पत्रों की समेकित सूचना आवश्यक है। **इसके लिए अन्तिम प्रमाण पत्र का प्रारुप इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।**

विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप में अन्तिम प्रमाण पत्र तैयार कराकर **30 नवम्बर, 2014** तक इस विभाग को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(डॉ. रेखा गुप्ता)
विशिष्ठ शासन सचिव एवं
अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ.3/III–ए/निर्वा./ईपिक–VII/जन./2011/ 11593 **जयपुर,दिनांकः** 11-11-2014

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(ए.डी.एम./एस.डी.एम.)– राजस्थान।
2. मै. बाइनरी सिस्टम्स, जयपुर।
3. मै. जैम कम्प्यूटर्स, जयपुर।
4. मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर।
5. मै. बिजनेस इन्फोर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज, जयपुर।
6. मै. नैचुरल सॉफ्टवेयर्स प्रा. लि., जयपुर।

11/11/2014

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी(आई.टी.),
राजस्थान, जयपुर

मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम सप्तम–चरण (PHASE–VII) अवधि (माह जून, 2011 से माह अक्टूबर, 2014) के अन्तर्गत पहचान पत्र प्राप्ति का अन्तिम प्रमाण–पत्र

जिला	:	
विधानसभा क्षेत्र का नाम व संख्या	:	
अनुबंधित फर्म का नाम	:	

क्र. स.	विवरण	पहचान पत्रों का विवरण
1.	फेज–सप्तम के दौरान शिविरों में फोटोग्राफी किये गये मतदाताओं एवं फर्म को पहचान पत्र बनाने हेतु उपलब्ध कराए गए फार्मस् की कुल संख्या–	
2.	बिन्दु संख्या 1 में वर्णित फोटोग्राफी एवं फार्मस् की संख्या के विरूद्ध फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये पहचान पत्रों की संख्या–	
3.	उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 में फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये पहचान पत्रों में से त्रुटि के कारण रिजेक्ट पहचान पत्रों की संख्या–	
4.	प्रमाणित त्रुटिरहित मतदाता फोटो पहचान पत्रों की संख्या (2–3)	
5.	उक्त बिन्दु संख्या 4 में प्रमाणित पहचान पत्रों के विरूद्ध डेटा सी. डी. में प्रमाणित डेटा की संख्या–	
6.	अनुबंधित फर्म के विरूद्ध प्रस्तावित कोई वसूली / शास्ति जो अन्तरिम प्रमाण पत्रों में नहीं दी गई थी, तो कारण सहित विवरण :–	

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1.	उपरोक्त प्रमाणित त्रुटिरहित समस्त पहचान पत्र, डेटा बैक अप एवं चैक लिस्ट की आपूर्ति अनुबंध में दर्शाए गए मापदण्डों के अनुसार है एवं आपूर्ति संतोषजनक है।
2.	अब तक संपन्न मतदाता फोटो पहचान पत्र कार्यक्रमों में आदिनांक तक भुगतान योग्य प्रमाणित त्रुटिरहित पहचान पत्रों की कुल संख्या (डूप्लीकेट पहचान पत्रों को छोडकर) आदिनांक मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं से अधिक नहीं है।
3.	डुप्लीकेट पहचान पत्रों को छोडकर बिन्दु संख्या 4 में प्रमाणित त्रुटिरहित पहचान पत्रों के मतदाताओं को पूर्व में त्रुटिरहित मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किये गये हैं।
4.	अनुबंधित फर्म द्वारा फोटोग्राफी कार्यक्रमों का संचालन विभागीय निर्देशों/ जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देशों के अनुसार किया गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी

अन्तिम प्रमाण– पत्रों की पूर्ति के संबंध में दिशा– निर्देश

कम संख्या 1– इस कालम में फेज–सप्तम (जून, 2011 से अक्टूबर, 2014) के दौरान फोटोग्राफी शिविरों में की गई मतदाताओं की फोटोग्राफी एवं फर्म को पहचान पत्र बनाने हेतु उपलब्ध कराए गए फार्म्स, दोनों की कुल संख्या अंकित की जानी है।

कम संख्या 2– इस कालम में फेज–सप्तम (जून, 2011 से अक्टूबर, 2014) के दौरान अनुबंधित फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये पहचान पत्रों की कुल संख्या अंकित की जानी है।

कम संख्या 3– इस कालम में फेज–सप्तम (जून, 2011 से अक्टूबर, 2014) के दौरान रिजेक्ट किये गये पहचान पत्र, जो फर्म द्वारा पुनः सही करके नहीं लौटाए गये हैं, की कुल संख्या अंकित की जानी है।

कम संख्या 4– इस कालम में फेज–सप्तम (जून, 2011 से अक्टूबर, 2014) के दौरान आपूर्ति किये गये त्रुटिरहित प्रमाणित पहचान पत्रों की संख्या अंकित की लानी है।
(क्र.सं.–2 में अंकित फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये कुल पहचान पत्रों में से क्र.सं.–3 में अंकित रिजेक्टेड पहचान पत्रों को घटाने के पश्चात शेष पहचान पत्रों की कुल संख्या)

कम संख्या 5– इस कालम में फेज–सप्तम (जून, 2011 से अक्टूबर, 2014) के दौरान क्रम संख्या– 4 में अंकित त्रुटिरहित प्रमाणित पहचान पत्रों की संख्या के विरूद्ध आपूर्ति की गई डेटा सी.डी. में प्रमाणित डेटा की संख्या अंकित की जानी है।

कम संख्या 6– इस कालम में अनुबंधित फर्म के विरूद्ध आरोपित की जाने वाली कोई वसूली/शास्ति, जो अन्तरिम प्रमाण पत्रों में प्रस्तावित नहीं की गई थी, तो उसका कारण सहित उल्लेख करावें